अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अधि0। वैशाली, हाजीपुर।

राजापाकड़ थाना कांड सं0 : 58 / 2022 (NDPS gr. no. 31/2022)

U/s- 20(b)(ii)(A), 22(A) of N.D.P.S. Act.

निर्णय

30.04.2026

आज अभियुक्त सुनिल कुमार उपस्थित है एवं वह अपराध की संस्वीकृति करने के लिए आवेदन दिया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही की गयी इसलिये संस्वीकृति का आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

बाद में,

30.04.2026:– अभियुक्त सुनिल कुमार आज न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं उसके उपर प्राथमिकी मे आरोप है कि उसके पास से कुल 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रस्तुत वाद मे दिनांक 04.03.2025 को अभियुक्त सुनिल कुमार के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. की धारा 20(b)(ii)(A), 22(A) के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। वर्तमान मे अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है।

न्यायालय ने अभियुक्त के संस्वीकृति आवेदन को स्वीकार किया और अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुये यह भी कहा कि यह उनका प्रथम अपराध था, अभियुक्त को यह भी समझाया गया कि उसकी यह संस्वीकृति उसके विरूद्ध प्रयोग की जायेगी, जिसके लिये उसने सहमति भी जाहिर की।

अतः अभियुक्त सुनिल कुमार को एन.डी.पी.एस. की धारा 20(b)(ii)(A), 22(A) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। बेंच क्लर्क को आदेश दिया जाता है कि वह अभिलेख को दोपहर पश्चात दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए पेश करें।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

दोपहर बाद,

30.04.2026:– अभियुक्त सुनिल कुमार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त दिनांक 21.02.2022 से काराधीन था और दिनांक 26.02.2022 को जमानत पर मुक्त हुआ है। इस बीच

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अधि0। वैशाली, हाजीपुर।

राजापाकड़ थाना कांड सं0 : 58/2022 (NDPS gr. no. 31/2022)

अभियुक्त पुर्व मे ही कारा मे 05 दिन रह चुका है। अतः उसे और अधिक न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का दंड नही दिया जाना चाहिये और अभियुक्त अपने द्वारा किये गये गलती के लिये पर्याप्त दंड भुगत चुका है साथ ही अभियुक्त के पास से केवल 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है जो कि लघु मात्रा से भी काफी कम है।

विशेष लोक अभियोजक भी इस बात के लिए सहमत है कि जप्त की गई गांजा के अनुपात मे अभियुक्त पर्याप्त कारावास मे रह चुका है परंतु जुर्माना भी लगाने का अनुरोध किया।

दोनो पक्षो को सुना एवं जप्त की गई गांजा की मात्रा एवं अभियुक्त द्वारा पूर्व मे बितायी गयी कारावास की अवधि को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुये और अधिक कारावास की सजा नही दी जानी चाहिये फलस्वरूप आवेदक को पूर्व मे बितायी गयी अवधि के कारावास से एवं 5,000/– (पॉच हजार) रूपया अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के रूप मे 5,000/– (पॉच हजार) रूपया नजारत, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर मे जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

बाद में,
30.04.2026:– अभियुक्त सुनिल कुमार की ओर से अर्थदंड की राशि 5,000/– (पॉच हजार) रूपया नजारत, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर मे जमा किया गया जिसका जुर्माना पावती सं0–697944 दिनांक 30.04.2026 दाखिल किया गया। अभियुक्त सुनिल कुमार को मुक्त किया जाता है, उसके द्वारा दायर किया गया बंधपत्र छह महीने पश्चात मोचित कर दिया जायेगा।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. अधि0।
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy, not Official

अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. अधि0। वैशाली, हाजीपुर।

राजापाकड़ थाना कांड सं0 : 58 / 2022 (NDPS gr. no. 31/2022)

Date of Judgment/Order	30-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	30-04-2026
Uploading Date	20-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official